

अध्याय 3 : वीसीईएस लागू करने के लिए तंत्र का अनुपालन

हमने वीसीईएस के क्रियान्वयन को मॉनीटर करने के लिए विभाग द्वारा युक्ति तंत्र के अनुपालन की जांच की तथा अन्तिम अदायगी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए घोषणाकर्ता के पंजीकरण की शुरुआत से विभिन्न स्तरों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन पाया।

3.1 घोषणाकर्ता के पंजीकरण का सत्यापन

वीसीईएस नियमावली, 2013 के नियम 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो योजना के तहत घोषणा करने की इच्छा व्यक्त करता है यदि वह पंजीकृत न हो तो वह घोषणा प्रस्तुत करने से पूर्व सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4 के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त करेगा।

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4(1) के अनुसार सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को उस तिथि जिस पर संशोधित रूप में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी के तहत सेवा कर देयता प्रकट होती है, से 30 दिनों के अन्दर पंजीकरण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित अधीक्षक को एक आवेदन करना होगा।

35 चयनित कमिश्नरियों से वीसीईएस घोषणा प्रस्तुत करते समय घोषणाकर्ता के पंजीकरण की स्थिति मांगी गई। केवल 14 कमिश्नरियों द्वारा सूचना प्रस्तुत की गई। इस सूचना का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आपत्तियां की गई:-

नौ कमिश्नरियों में 17 मामलों में, ₹ 18.27 करोड़ की कर देयता सहित यद्यपि घोषणाकर्ता को घोषणा करने की तिथि तक विभाग में पंजीकृत किया जाना था तथापि सेवाएं जो घोषित की गई थी, को नियम 4(5ए)¹⁰ द्वारा अनुबंधित रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्रों में सम्मिलित नहीं पाया गया था।

¹⁰ नियम 4(5ए) अनुबंधित करता है कि जहां पर पंजीकरण (एसटी-1 में) प्राप्त करते समय एक निर्धारित द्वारा प्रस्तुत किसी सूचना या विवरण में कोई परिवर्तन हो अथवा यदि वह कोई अतिरिक्त सूचना या विवरण प्रस्तुत करने पर विचार करे तो ऐसे परिवर्तन या सूचना या विवरण को ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों की अवधि के अन्दर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार एसी/डीसी को निर्धारित द्वारा लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2015 तथा जनवरी 2016 के बीच) तब मंत्रालय ने तीन मामलों में आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2016)। शेष 13 मामलों में इसने बताया कि पंजीकरण में वर्णित सेवाओं के समावेशन न होने ने तकनीकी चूको का होना दर्शाया तथा इसमें कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। शेष एक मामले में उत्तर प्रतीक्षित था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना के उद्देश्यों में से एक कर आधार को विस्तृत करना था। निर्दिष्ट सेवा के तहत घोषणाकर्ता का पंजीकरण घोषणाकर्ता की ओर से पश्च वीसीईएस अनुपालन की मॉनीटरिंग को सक्षम बनाएगा। इसके अलावा, घोषणाकर्ता द्वारा सेवा के नाम के गलत वर्णन करने के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण सेवाओं के गलत सेवा कर संग्रहणों का वर्णन होगा।

कुछ निदर्शी मामलो को नीचे दर्शाया गया है:-

3.1.1 मुम्बई-VI एसटी कमिश्नरियों में एक निर्धारिती ने दिसम्बर 2010 से मार्च 2012 तक की समयावधि के लिए कॉम्प्लेक्स सेवा के निर्माण के प्रति ₹ 3.76 करोड़ की कर देयता घोषित की थी (नवम्बर 2013)। पंजीकरण प्रमाणपत्र (एसटी -2 से) से यह पता चला कि घोषणाकर्ता उस सेवा (अर्थात् कॉम्प्लेक्स के निर्माण) के लिए पंजीकृत नहीं था जिसके प्रति घोषणा की गई थी।

3.1.2 मुम्बई-VII एसटी कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2012 तक की समयावधि के लिए 4 सेवाओं (अर्थात् व्यवसाय समर्थन सेवाओं; प्रबंधन, अनुरक्षण तथा मरम्मत सेवाओं; परामर्शी इंजीनियर की सेवाओं, तथा तेल, खनिज तथा गैस का सर्वेक्षण और अन्वेषण) के संदर्भ में ₹ 2.29 करोड़ की कर देयता की घोषणा की थी (जून 2013)। हमने पाया कि चूककर्ता को केवल दो सेवाओं (परामर्शी इंजीनियर सेवा तथा अचल सम्पत्ति सेवा को किराए पर देने) के लिए पंजीकृत किया गया।

3.2 सत्यापित करना कि क्या घोषित अवधि योजना के तहत परिकल्पित अवधि के अनुरूप थी

वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय VI की धारा 105 के अनुसार, घोषणाकर्ता 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसम्बर 2012 तक की समयावधि के लिए कर देयता घोषित कर सकता है।

16 कमिश्नरियों में 61 मामलों में हमने अवलोकन किया कि ₹ 3.61 करोड़ की कर देयता सहित या तो घोषणा अवधि योजना के तहत अनुबंधित अवधि से अधिक थी या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई वर्ष वार ब्रेकअप नहीं दिया कि क्या घोषित अवधि अनुबंधित अवधि के अन्दर थी।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर तथा दिसम्बर 2015 के बीच) तो मंत्रालय ने 36 मामलों में आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2016) कि उपचारात्मक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी थी। शेष 25 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था।

3.3 संगणना शीटों में प्रदत्त दर्शाई गई राशियों के भुगतान का सत्यापन

हमने पांच कमिश्नरियों में 19 मामलों में देखा कि घोषणाकर्ता ने ₹ 9.31 करोड़ की राशि जिसका योजना के लागू होने से पूर्व प्रदत्त का दावा किया गया था, को घटाने के पश्चात ₹ 14.66 करोड़ की कर देयता की घोषणा की। हालांकि, रिकॉर्ड में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई विवरण नहीं पाया गया कि क्या विभाग ने उक्त तथ्य को सत्यापित किया था अतः लेखापरीक्षा घोषणाकर्ता के दावे की सत्यता की जांच नहीं कर सका।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर तथा दिसम्बर 2015 के बीच) तब मंत्रालय ने कहा (मई/जून 2016) कि 15 मामलों में घोषणाकर्ता विवरणों को सत्यापित किया गया था। शेष चार मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2016)।

3.4 धारा 106 के परन्तुक की शर्तों में योग्यता मापदंड की जांच

वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 106(1) तथा (2) ने उन घोषणाकर्ताओं जिनके प्रति कोई नोटिस लम्बित नहीं था या जांच /पूछताछ /लेखापरीक्षा आरम्भ की गई थी तथा वह 1 मार्च 2013 से लम्बित हैं, के लिए वीसीईएस के तहत लाभों को सीमित किया। बोर्ड ने स्पष्ट किया (अगस्त 2013) कि पर्याप्त कारण होने पर डीए कारणों को दर्शाने वाली घोषणा प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर घोषणा को अस्वीकृत करने के आशय की सूचना दे सकता है तथा वह सूचना घोषणाकर्ता को किसी आदेश के पारित होने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी।

हमने 20 कमिशनरियों में 444 मामलों में ₹ 85.97 करोड़ की कर देयता सहित निम्नलिखित प्रकार की कमियां देखी:-

- क) अयोग्य मामलों की अस्वीकृति के लिए एक माह की अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपवंचन रोधी विंग/निवारण/डीजीसीईआई से घोषणाकर्ताओं के प्रति लम्बित मामलों की स्थिति का पुष्टिकरण प्राप्त नहीं किया गया।
- ख) वीसीईएस के तहत उनके द्वारा घोषित एक ही अवधि के लिए घोषणाकर्ताओं के प्रति 1 मार्च 2013 तक लम्बित कारण बताओं नोटिस/मूल आदेश (एससीएन/ओआईओ) के मामले थे।
- ग) वीसीईएस लाभ को उन घोषणाकर्ताओं के लिए बढ़ाया गया था जिनके प्रति सीईआरए ने पहले ही आपत्तियां की थी तथा यह 1 मार्च 2013 से लम्बित था।
- घ) इसमें ऐसे मामले थे जहां अन्तर/अन्तः विभागीय पत्राचार की जांचसूची या विवरण का कोई प्रमाण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2015 तथा जनवरी 2016 के बीच) तो मंत्रालय ने कहा (जून 2016) कि बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए एससीएन जारी करने हेतु 30 दिनों की अवधि निर्धारित की कि घोषणाकर्ता कम से कम अपनी घोषणा के अन्तिम परिणाम से अवगत था।

मंत्रालय का उत्तर अन्य अनुभागों से सूचना की प्राप्ति न होने, अनुचित लाभों के विस्तार तथा सत्यापन के संबंध में जांचसूची अथवा पत्राचार के प्रमाण की अनुपलब्धता के संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर मौन था।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

3.4.1 सीईआरए ने 2010-11 की अवधि के लिए वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श सेवा वर्ग के तहत ₹ 26.21 लाख के सेवा कर के उद्ग्रहण न होने के संदर्भ में मुम्बई - VII एसटी कमिश्नरी में एक निर्धारिती के संबंध में एक आपत्ति की थी (अक्टूबर 2012)। मामला 2015 की भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 (सेवा कर) के (परिशिष्ट -II) की क्रम संख्या 7 में प्रदर्शित हुआ तथा यह तथ्य अक्टूबर 2012¹¹ से कमिश्नरी के नोटिस में था कि इस पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समावेशन हेतु विचार किया जा रहा था। इसी निर्धारिती ने अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2012 की समयावधि के लिए वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श सहित विभिन्न सेवा श्रेणियों के अन्तर्गत ₹ 2.10 करोड़ की राशि की कर देयता घोषित की थी (जून 2013)। लागू ब्याज के अलावा ₹ 1.76 करोड़ की राशि के लिए एक एससीएन भी जारी किया गया था (अक्टूबर 2013)।

निर्धारिती ने ब्याज सहित मांगी गई सेवा कर राशि का भुगतान किया (जून/जुलाई 2013)। हमने अवलोकन किया कि एससीएन में कवर किए गए 2011-12 से संबंधित वैज्ञानिक तथा परामर्श सेवाओं तथा अन्य सेवाओं के संदर्भ में ₹ 1.50 करोड़ की सेवा कर देयता घोषित कर देयता (₹ 2.10 करोड़) में सम्मिलित थी। विभाग ने ₹ 1.11 करोड़ की शेष राशि के लिए योजना के लाभो को स्वीकृत करने वाले ईए 2000 द्वारा की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों (अक्टूबर 2012 तथा मार्च 2013 के बीच) के आधार पर ₹ 38.86 लाख की राशि के लिए घोषणा को आंशिक रूप से अस्वीकृत किया। वीसीईएस-3 को ₹ 1.72 करोड़ के लिए जारी किया गया (जून 2014)। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि वीसीईएस के अन्तर्गत उक्त एससीएन के साथ-साथ कर देयता का अनुपालन करते हुए सेवा कर के भुगतान के समर्थन में एक ही चलान प्रस्तुत किया गया था (₹ 1.46 करोड़ हेतु)।

¹¹ जारी किए गए तथ्यों के विवरण (एसओएफ) देखें

जब हमने इस विषय में बताया (नवम्बर 2015) तब मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि ओआईओ पारित करते समय पदनामित प्राधिकारी ने बोर्ड के दिनांक 25 नवम्बर 2013 के परिपत्र के मद्देनजर मामले तथा ईए 2000 द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति में उठाए गए मामले की जांच की।

मंत्रालय का उत्तर दिनांक 8 अगस्त 2013 के बोर्ड के परिपत्र में इस अनुबंधन के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं था कि घोषणाकर्ता उस मामले के संबंध में 'कर देयताओ' की घोषणा कर सकता है जो लेखापरीक्षा पैरा का भाग नहीं था। वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श सेवा वर्ग के तहत 2010-11 की समयावधि हेतु सेवा कर के उद्ग्रहण न होने को अक्टूबर 2012 में सीईआरए द्वारा उठाया गया तथा विभाग द्वारा स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2013) तथा इसीलिए आवेदन अस्वीकृति के योग्य था।

3.4.2 कोच्चि कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने अप्रैल 2011 से सितम्बर 2012 तक की समयावधि के लिए ब्रॉडकास्टिंग सेवा के प्रति ₹ 1.76 करोड़ की कर देयता घोषित की (दिसम्बर 2013)। हमने देखा कि सेवा कर डिविजन, कोच्चि ने मार्च 2011 में जांच प्रारम्भ की तथा मार्च 2012 में निर्धारिती को सम्मन जारी किए तथा यह 1 मार्च 2013 से लम्बित था। इसके अलावा, अक्टूबर 2009 से जुलाई 2011 तक की समयावधि के लिए इसी मामले पर आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्ति 1 मार्च 2013 से लम्बित थी। अतः निर्धारिती द्वारा की गई घोषणा वीसीईएस के तहत लाभ के लिए अयोग्य थी। हालांकि वीसीईएस-3 जारी किया गया था (जनवरी 2015)।

जब इस ओर ध्यान दिलाया (नवम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसरण में एससीएन अक्टूबर 2013 में जारी किया गया था, 1 मार्च 2013 तक कोई एससीएन लंबित नहीं था और लेखापरीक्षा आपत्ति को लंबित नहीं समझा जाए क्योंकि एससीएन जारी किया जा चुका था।

मंत्रालय के उत्तर ने स्पष्ट किया कि उक्त मामले पर उठाये गये आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां 1 मार्च 2013 तक लंबित थीं और एससीएन अक्टूबर 2013 में जारी किया गया था।

3.4.3 बेंगलुरु-एसटी कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2012 की अवधि को कवर करते हुए बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवा के प्रति ₹ 1.34 करोड़ के कर देय (दिसम्बर 2013) की घोषणा की। हमने देखा कि पांच एससीएन 2008 से 2012 तक जारी किये गये और वीसीईएस के अंतर्गत की गई घोषणा के अनुसार उक्त सेवाओं के लिए 1 जून 2007 से 31 मार्च 2012 की अवधि का कवर करते हुए ₹ 1.82 करोड़ की सेवा कर की मांग की पुष्टि करते हुए घोषणाकर्ता के प्रति एक ओआईओ पास किया गया। (जनवरी 2014)। चूँकि 1 मार्च 2013 तक एससीएन लंबित थे, घोषणा को रद्द किया जाना चाहिए था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (दिसम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि जैसा कि संबंधित कमिश्नरी ने सूचना दी थी, वीसीईएस आवेदन रद्द योग्य था।

3.4.4 पटना कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने ₹ 97.16 लाख के कर देय की घोषणा (दिसम्बर 2013) की। हमने देखा कि 2 जुलाई 2012 को डीजीसीईआई, हैदराबाद द्वारा घोषणाकर्ता के प्रति सम्मन जारी किये गये थे और 1 मार्च 2013 से पहले एक जांच भी की गई थी। घोषणाकर्ता योग्य नहीं था और डीए द्वारा की गई घोषणा का रद्द की जानी थी। परंतु ऐसा नहीं किया गया था। संयुक्त कमिश्नर (सेवा कर), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मुख्यालय, पटना ने वीसीईएस फाइल में अवलोकन किया (मार्च 2015) कि निर्धारिती द्वारा की गई घोषणा को रद्द किया जाना चाहिए और इस मामले में वीसीईएस-3 को जारी किया जाना उचित नहीं था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2016) मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि चूँकि वीसीईएस-3 लंबित एससीएन के कारण निर्धारिती को जारी नहीं किया गया था, फाइल की गई घोषणा को रद्द समझा जाना चाहिए था। परंतु वास्तविक की गई कार्रवाई के विवरण प्रतीक्षित थे।

3.4.5 रायपुर कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु श्रम बल भर्ती और आपूर्ति सेवा और स्थापना और आरंभ करने की सेवाओं के प्रति ₹ 25.25 लाख के कर देय की घोषणा (दिसम्बर 2013) की। हमने देखा कि सेरा ने अवलोकन (मार्च 2012) किया कि घोषणाकर्ता ने

एक निर्धारिती से सेवा कर प्रभारित नहीं किया था यद्यपि निर्धारिती ने 2009-10 और 2010-11 के दौरान “श्रम बल आपूर्ति और भर्ती एजेंसी” सेवा प्रदान की थी। चूँकि 1 मार्च 2013 तक लेखापरीक्षा अवलोकन लंबित थे, वीसीईएस के अंतर्गत घोषणाकर्ता योग्य नहीं था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (नवम्बर 2015), विभाग ने कहा (नवम्बर 2015) कि घोषणाएं नियमित रूप से रद्द नहीं की गई थी, यद्यपि, सूचना/दस्तावेज घोषणाकर्ता से अधिग्रहित की गई थी। परंतु अपने उत्तर में मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि निर्धारिती द्वारा वीसीईएस के अंतर्गत कोई घोषणा फाइल नहीं की गई।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि वीसीईएस आवेदन प्राप्त हुआ था और एसटी रेंज, रायपुर (अक्टूबर 2013) के रेंज अधिकारी ने आवेदन पर अपनी टिप्पणी दी। विभाग द्वारा की गई पहल का अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था।

3.4.6 लखनऊ कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु सुरक्षा सेवा के प्रति ₹ 1.55 करोड़ के कर देय की घोषणा की (दिसम्बर 2013), अंतिम किस्त अदा की (फरवरी 2014) और इसी प्रकार, वीसीईएस-3 जारी किया (अप्रैल 2014)। हमने अवलोकन किया कि आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने उक्त मामले पर 2008-09 से 2010-11 की अवधि हेतु ₹ 61.70 लाख के सेवा कर के कम भुगतान के संबंध में आपत्ति दर्शाई।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (दिसम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि उक्त मामले पर आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा 2008-09 से 2010-11 की अवधि से संबंधित था जबकि घोषणाकर्ता ने अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु वीसीईएस घोषणा फाइल की।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्ति लंबित है और इस प्रकार वीसीईएस के अनुप्रयोग की स्वीकृति गलत है।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने दिनांक 25 नवम्बर 2013 के बोर्ड के परिपत्र की बिंदु सं.4 का उद्धरण लिया (जून 2016) जो 10 मई 2013 से प्रभावी होने वाली योजना की तिथि के बाद निर्धारिती द्वारा कर देय से संबंधित है।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए प्रासंगिक नहीं है।

3.4.7 99 मामलों में, ₹ 16.53 करोड़ के कर देय सहित भुवनेश्वर-1 कमिश्नरी में रैंज अधीक्षकों से योग्यता नियंत्रण अपनाने की सत्यापन रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं रखी गई थी।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (नवम्बर 2015), रैंज अधिकारी से योग्यता नियंत्रणों के 99 मामलों में से, जो रिकॉर्ड में थे, केवल 11 मामलों को मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए (मई 2016) विभाग की पुनः संरचना को शेष 88 मामलों के रिकॉर्डों के न मिलने का कारण बताया। इन 88 मामलों पर अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था।

3.5 धारा 111 के निबंधन में कार्रवाई आरंभ न करना

वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय VI की धारा 111(1) और 111(2) कमिश्नर को घोषणा की तिथि से एक वर्ष के अंदर मूल रूप से गलत पाई जाने वाली घोषणाओं के संबंध में घोषणाकर्ता को नोटिस देने के लिए समर्थ बनाती है।

3.5.1 हमने देखा कि ₹ 9.46 करोड़ के कर देय सहित आठ कमिश्नरियों में 15 मामलों में यद्यपि यह विश्वास करने के काफी कारण थे कि की गई घोषणाएं गलत थी; विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 के बीच) नौ मामलों में मंत्रालय ने कहा (मई/जून 2016) वीसीईएस योजना दिसम्बर 2013 के बोर्ड परिपत्र के अनुसार अंकगणितीय सटीकता की जांच करने के लिए केवल डीए को अनुमति दी गई। केवल एक मामले में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। शेष पांच मामलों में उत्तर अब भी प्रतीक्षित है।

ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया गया है:-

चेन्नै-11 एसटी कमिश्नरी में, एक निर्धारिती ने अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु व्यापार पूरक सेवा (सक्रियण कमीशन) के प्रति ₹ 1.92 करोड़ के कर देय की घोषणा की (दिसम्बर 2013)। हमने देखा कि 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु निर्धारिती ₹ 3.98 करोड़ की लेन-देन मूल्य पर सेवा कर का आकलन किया जबकि लाभ और हानि खाते के

अनुसार ₹ 5.40 करोड़ के व्यापार सहायक सेवाओं और अन्य सेवाओं पर निर्धारिती ने सेवा आय अर्जित की थी। इस प्रकार, यह विश्वास करने का कारण है कि घोषणा मूल रूप से गलत थी।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (नवम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि वीसीईएस से संबंधित बोर्ड के परिपत्र के अनुसार घोषणा की सटीकता के सत्यापन द्वारा उपयुक्त का ध्यान रखा गया था। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि घोषणाओं की योग्यता की जांच के लिए सभी मंडलों को घोषणाएं भेजी गई थी और केवल मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही, घोषणाओं पर कार्रवाई की गई थी।

लेन-देन मूल्य पर सेवा कर के गलत गणना के संबंध में मंत्रालय का अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2016)।

3.5.2 गुंटर और हैदराबाद एसटी कमिश्नरी में, हमने पाया कि सेवा श्रेणी “आवासीय भवनों के निर्माण” के अंतर्गत 45 घोषणाकर्ताओं ने काम्पलेक्स सेवा के सृजन के रूप में अपनी सेवा को वर्गीकृत किया और सेवा कर दायित्व का पालन किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्माणकार्य ठेका सेवा के अंतर्गत ये सेवाएं वर्गीकरण योग्य थीं। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 3.00 करोड़ के सेवा कर की कम उगाही हुई। उपरोक्त सभी मामलों में विभाग ने जनवरी 2014 और जनवरी 2015 के बीच विमुक्ति पत्र जारी किए।

जब हमने इसे बताया (दिसम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि कोई विशिष्ट वितरण होने के कारण जिसके लिए कोई विशेष मंती नहीं थी, काम्पलेक्स सेवाओं के सृजन के अंतर्गत गतिविधि सही तरीके से वर्गीकृत योग्य थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि यह निर्णय लिया जा चुका था कि केवल ₹ 25 लाख से अधिक राशि की निर्माण कार्य ठेका सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत करने किये जाने के साथ-साथ सत्यता के संबंध में जांच की जानी थी।

दिनांक 22 मई 2007 के बोर्ड के पत्र के अनुसार मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, जिसमें यह कहा गया था कि वैट/विक्रय कर के उद्ग्रहण के उद्देश्य हेतु निर्माणकार्य ठेके के रूप में लिये गये ठेके सेवा कर उद्ग्रहण हेतु निर्माण कार्य ठेकों के रूप में भी माने जाने चाहिए। उपरोक्त 45 मामलों में से 22 मामलों में लेखापरीक्षा ने वैट पंजीकरण पाया। इसलिए ये घोषणाकर्ता निर्माणकार्य ठेका सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य थे। इसके बावजूद, केवल

₹ 25 लाख से अधिक वाले मामले की जांच करने के निर्णय के संबंध में प्राधिकारी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई।

3.5.3 बेंगलुरु एसटी कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु ₹ 1.02 करोड़ के कर देय की घोषणा की (अक्टूबर 2013)। केस फाइल से हमें ज्ञात हुआ कि दिनांक 30 अगस्त 2013 के अपने पत्र द्वारा ₹ 5.00 करोड़ की सेवा कर देयता के लिए एडीजीसीईआई, बेंगलुरु क्षेत्रीय इकाई द्वारा एक अपराधिक मामला दर्ज किया। उपरोक्त से यह साबित होता है कि हालांकि धारा 111 के अंतर्गत कार्रवाई करने का कारण था, परंतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

हमने जब इस ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि (क) घोषणाकर्ता ने 2007-08 से 2012-13 (दिसम्बर 2012 तक) की अवधि से संबंधित ₹ 2.98 करोड़ के रूप में कुल सेवा कर दर्शाया, जिसमें से ₹ 1.96 करोड़ की एक राशि पहले ही अदा की जा चुकी थी और शेष ₹ 1.02 करोड़ की राशि हेतु वीसीईएस घोषणा फाइल की गई थी, (ख) एडीजीसीईआई ने तुलन पत्र से विगत 5 वर्षों हेतु कर देयता निकाली और जांच में 30 जून 2013 तक की अवधि कवर की गई, और (ग) चूंकि घोषणाकर्ता द्वारा आंकड़ों की गणना की और एडीजीसीईआई तुलनीय अवधि के लिए उचित नहीं थी, घोषणाकर्ता द्वारा फाइल की गई घोषणा वीसीईएस के मानदंडों के अनुसार थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केवल छः महीने की अवधि में अंतर हेतु कर देयता में ₹ 2.02 करोड़ (40 प्रतिशत को दर्शाते हुए) का अंतर था, जिसकी जांच मंत्रालय को करनी चाहिए।

3.6 बोर्ड परिपत्र के उल्लंघन में संशोधित घोषणाओं की स्वीकृति

बोर्ड ने स्पष्ट किया (अगस्त 2013) कि घोषणाकर्ता को उचित रूप से कर देय की घोषणा करनी चाहिए थी। घोषणाकर्ता द्वारा स्वयं गलती की घोषणा करने के मामले में, वह डीए को एप्रोच कर सकता था, जो मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद, घोषणा में किये गये परिवर्तनों को स्वीकृत कर सकता है। बशर्ते कि, 31 दिसम्बर 2013 की घोषणा की फाइलिंग की अंतिम तिथि से पहले घोषणाकर्ता द्वारा संशोधित घोषणा प्रस्तुत की गई हो।

हमने देखा कि विभागीय कार्रवाई उपरोक्त बोर्ड के परिपत्र के उल्लंघन में 31 दिसम्बर 2013 के बाद विभागीय कार्रवाई या संशोधनों के परिणाम घोषणाओं में परिवर्तन के निम्नलिखित मामले हैं:-

3.6.1 सेलम कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने 22 जुलाई 2013 के पत्र में डीजी सीईआई, मद्रुरै क्षेत्रीय इकाई, मद्रुरै द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर प्रस्तुत की गई “खनन सेवाओं” के प्रति ₹ 1.60 करोड़ के कर देय की घोषणा की (जून 2013)। परिणामस्वरूप दिनांक 22 जुलाई 2013 के पत्र में डीए ने कहा कि घोषणाकर्ता उप-ठेकेदारों के रूप में प्रस्तुत की गई खनन सेवाओं के प्रति सेवा कर के लिए उत्तरदायी था, जो घोषणा में जुड़ने से रह गई। उपरोक्त पत्र के आधार पर, डीए द्वारा बताई गई सेवाओं पर देय सेवा कर सहित ₹ 2.33 करोड़ की घोषणा करते हुए घोषणाकर्ता ने 31 दिसम्बर 2013 को संशोधित घोषणा फाइल की। विभाग ने संशोधित घोषणा को स्वीकार किया और वीसीईएस-3 (फरवरी 2015) जारी की जो सही नहीं थी क्योंकि निर्धारिती ने स्वयं घोषणा को संशोधित नहीं किया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (दिसम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि क्योंकि निर्धारित तिथि से पहले संशोधित घोषणा फाइल की गई थी, उक्त को वीसीईएस द्वारा क्रमबद्ध रूप से कवर किया जाएगा।

घोषणाकर्ता ने डीजीसीईआई द्वारा कार्रवाई की सूचना के परिणामस्वरूप संशोधित घोषणा फाइल की। मंत्रालय के उत्तर ने लेखापरीक्षा बिंदु को साबित किया क्योंकि उन्होंने स्वयं की गई घोषणा की प्राथमिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा और निर्धारित अंतिम तिथि को ध्यान में रखकर घोषणा के संशोधन की स्वीकृति दी।

3.6.2 इसी प्रकार दो अन्य मामलों में क्रमशः कोच्चि और चेन्नै-॥ एसटी कमिश्नरी ने डीजीसीईआई द्वारा कार्रवाई के परिवामस्वरूप फाइल की गई घोषणा में संशोधन भी किया। इसलिए यह उचित नहीं था क्योंकि निर्धारितीयों ने स्वयं घोषणाओं का संशोधन नहीं किया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (नवम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (जून 2016) कि जैसे ही निर्धारित तिथि से पहले संशोधित घोषणा फाइल की गई थी, तब ही उस को वीसीईएस द्वारा क्रमबद्ध रूप से कवर किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि घोषणा का संशोधन नहीं माना जाएगा क्योंकि यह स्वयं किया गया था।

3.6.3 अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने ₹ 51.11 लाख के कर देय की घोषणा की (दिसम्बर 2013)। 11 मार्च 2014 को उक्त को ₹ 20.51 लाख तक संशोधित किया गया। विभाग ने वीसीईएस-3 (अक्टूबर 2014) में जारी किया। चूँकि संशोधित घोषणा 31 दिसम्बर 2013 के बाद घोषणा द्वारा प्रस्तुत की गई थी, विभाग द्वारा की गई कार्रवाई उचित नहीं थी।

इसी प्रकार, अन्य दो मामलों में जयपुर कमिश्नरी में 31 दिसम्बर 2013 के बाद घोषणाएं संशोधित की गईं। यद्यपि, विमुक्ति-पत्र जारी किये गये थे।

जब हमने बताया (दिसम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि एक मामले में, घोषणाकर्ता ने डीए निर्देश पर घोषणा संशोधित की और इसलिए स्वयं घोषणा हेतु निर्धारित समय सीमा लागू नहीं थी। सभी मामलों के संबंध में उन्होंने कहा कि क्योंकि विलम्ब प्रकृति रूप से केवल प्रक्रियात्मक है और ऐसे तुच्छ आधार पर आवेदनों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना संशोधित घोषणा प्रस्तुत करने के लिए घोषणाकर्ता से अनुरोध करने के लिए संशक्त नहीं थी और यदि उक्त तुच्छ आधार पर उक्त की अननुपालना की जाती है तो आवेदन में परिवर्तन हेतु अंतिम तिथि को निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं था।

3.7 प्रथम किश्त के भुगतान की मॉनीटरिंग

वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 107(3) के अनुसार, वीसीईएस की शर्तों में से एक यह है कि घोषणाकर्ता 31 दिसम्बर 2013 तक या पूर्व योजना के अंतर्गत घोषित कर देय के कम से कम 50 प्रतिशत के बराबर की राशि अदा करेगा। इसलिए, यदि घोषणाकर्ता 31 दिसम्बर 2013 तक कर देय का कम से कम 50 प्रतिशत अदा करने में असफल रहता है, वह योजना के लाभ नहीं उठा सकेगा। 31 दिसम्बर 2014 तक घोषणाकर्ता द्वारा कर अदा न करने के मामलों में, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे भुगतान नकद में किये जाने चाहिए, और सेनवैट क्रेडिट में समायोजित न किये जाये।

हमने 11 कमिश्नरियों में ₹ 19.47 करोड़ के कर देय के 116 मामले देखे, घोषणाकर्ताओं ने 31 दिसम्बर 2013 की निर्धारित तिथि के अंदर पहली किस्त अर्थात् घोषित राशि का 50 प्रतिशत अदा नहीं किया था। इसलिए उपरोक्त सभी मामले वीसीईएस के अंतर्गत विचारणीय नहीं थे।

जब हमने यह बताया (दिसम्बर 2015) मंत्रालय ने 41 मामलों में आपत्तियां (मई 2016) स्वीकार की। नौ मामलों में इसने कहा कि धारा 110 के अनुसार, घोषणाकर्ता को धारा 87 के अंतर्गत ब्याज सहित आंशिक भुगतान करना था, इसलिए धारा 110 उन परिस्थितियों से निपटती है जहां घोषणाकर्ता निर्धारित सीमा में उसके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार या तो पूर्ण या आंशिक रूप से कर देय के भुगतान में असफल रहा हो। 49 मामलों में यह बताया गया था कि ऐसे सभी मामलों में जहां कर देय के शेष 50 प्रतिशत के भुगतान के सबूत घोषणाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे, उनके विवरण प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किये गये थे। शेष 17 मामलों में उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं।

मंत्रालय का उत्तर तर्क पूर्ण नहीं था क्योंकि इस प्रकार निर्धारित अवधि में प्रथम किस्त ने भुगतान न किये जाने के संबंध में ये लेखापरीक्षा आपत्ति वीसीईएस हेतु घोषणाओं का अयोग्य बना देती है।

कुछ निदर्शी मामले इस प्रकार हैं:-

3.7.1 मुंबई-VII एसटी कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2012 अवधि के लिए निर्माण कार्य ठेका सेवा के प्रति ₹ 85.43 लाख का कर देय घोषित किया (दिसम्बर 2013)। हमने देखा कि निर्धारिती ने 21 जनवरी 2014 और 8 मार्च 2014 तक दो किस्तों में ₹ 43.25 लाख की राशि अदा की परंतु 31 दिसम्बर 2013 तक पहली किस्त के लिए ₹ 42.72 लाख का भुगतान नहीं किया गया था। इसके बावजूद, वीसीईएस के अंतर्गत निर्धारिती को अनुमत न करते हुए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

3.7.2 जालंधर कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु अचल संपत्ति सेवा के किराये के प्रति ₹ 75.98 लाख के कर देय घोषित किया (दिसम्बर 2013)। हमने देखा कि ₹ 37.99 लाख देय

राशि के प्रति 50 प्रतिशत के प्रति निर्धारिती ने 31 दिसम्बर 2013 तक केवल ₹ 21.30 लाख की राशि का भुगतान किया। यद्यपि, वीसीईएस के अंतर्गत अनुमति प्रदान न करते हुए विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जब हमने यह बताया (दिसम्बर 2015) कि मंत्रालय ने यह कहा कि धारा 87 के अंतर्गत एक अधिसूचना निर्धारिती को जारी की गई थी।

3.7.3 वड़ोदरा-कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु ₹ 23.52 लाख के कर देय की घोषणा की (सितम्बर 2013)। 31 दिसम्बर 2013 तक पहली किस्त के रूप में घोषणाकर्ता को ₹ 11.76 लाख अदा करने थे। यद्यपि 31 दिसम्बर 2013 तक केवल ₹ 4.63 लाख अदा किये गये थे। डीए ने दावे के रद्द करने का प्रस्ताव पास करते हुए घोषणाकर्ता को एससीएन जारी किया (मार्च 2014)। घोषणाकर्ता ने दर्शाया कि (मार्च 2014) कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण, वह 31 दिसम्बर 2013 तक 50 प्रतिशत कर देय अदा नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, घोषणाकर्ता ने कहा कि यदि 31 दिसम्बर 2013 तक पहले 50 प्रतिशत कर देय अदा नहीं किया गया था, उक्त को 30 जून 2014 तक ब्याज सहित अदा किया जा सका और जनवरी 2012 (अर्थात्) वास्तविक देय तिथि) से सारे कर देय पर ₹ 6.48 लाख का ब्याज अदा किया। यद्यपि दावा रद्द किया जाना था, किये गये एससीएन को तर्कसंगतता के बिना ही घोषणाकर्ता के प्रस्तुतीकरण के आधार पर घोषणाकर्ता को वीसीईएस-3 डीए जारी (जुलाई 2015) किये।

जब हमने बताया (नवम्बर 2015) मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि धारा 110 के अनुसार, घोषणाकर्ता धारा 87 के अंतर्गत ब्याज सहित आंशिक भुगतान अदा करने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि धारा 110 निर्धारित सीमा में घोषणाकर्ता द्वारा की गई घोषणा के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप से घोषणाकर्ता कर देय के भुगतान न करने की परिस्थितियों से निपटती है।

इस संबंध में, गुजरात उच्च न्यायालय निर्णय¹² की ओर मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जहाँ पर यह कहा गया था कि यदि धारा 110 के तहत ब्याज प्रभारित करने के बाद करों में कमी को स्वीकार किया जा सकता

¹² अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय में रामीला बेन भारती भाई पटेल बनाम भारत संघ तथा अन्य {2014 (35) एस.टी.आर. 695 (गुजरात)}

था तो धारा 107 की उपधारा (4) के तहत शेष करों को जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे यह कहा गया था कि धारा 110 ब्याज के साथ करों की अनिवार्य वसूली और धारा 107 की उप धाराओं (3) और (4) योजना के अनुसार एक उद्घोषक द्वारा स्वैच्छिक कर जमा करने से संबंधित है और यह दोनों पृथक क्षेत्रों में परिचालित होती है। इस प्रकार, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था वीसीईएस घोषणा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी था।

मंत्रालय ने आगे कहा (जून 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया यह मामला सामान्य नहीं था बल्कि केवल कुछ कमिश्नरियों के लिए विशिष्ट था जो जहाँ परिशोधन उपाय पहले की किए गए थे।

3.8 दूसरी किशत के भुगतान की मॉनीटरिंग

धारा 107 अनुबंध करती है कि घोषित देय कर राशि के कम से कम 50 प्रतिशत की पहली किशत के भुगतान के बाद बची हुई देय राशि का भुगतान 31 जून 2014 से पहले उद्घोषक द्वारा किया जाना चाहिए। उद्घोषक जो कि 31 जून 2014 से पहले शेष राशि का भुगतान करने में असफल रहे को ब्याज के साथ 31 दिसम्बर 2014 तक भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। वित्त अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के तहत उन्मक्ति केवल ऐसे उद्घोषकों तक विस्तृत होगी जो कि वित्त अधिनियम 2013 की धारा 107 के प्रावधानों के अनुसार घोषित शेष देय कर का भुगतान करेंगे।

हमने 10 कमिश्नरियों के 53 मामलों में देखा, ₹ 1.49 करोड़ के देय सम्पूर्ण/कर का भाग/ब्याज निहित का 31 दिसम्बर 2014 तक भुगतान नहीं किया गया था। तथापि उपरोक्त सभी उद्घोषक वीसीईएस के लिए योग्य नहीं थे।

जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2015 और जनवरी 2016 के बीच) मंत्रालय ने तीन मामलों में अवलोकन (मई 2016) को स्वीकार किया। 17 मामलों में यह कहा गया था कि उद्घोषकों ने बाद में ब्याज के साथ कर देय राशि का भुगतान किया था और योजना के तहत घोषित कर देय राशि पर जुर्माना पुनः प्राप्य नहीं था या उत्तर जुर्माने की उगाही पर मौन था। मंत्रालय के इस स्टैंड को स्वीकृत नहीं किया जा सकता था क्योंकि धारा 108

उद्घोषक को जर्माने से और अन्य कानूनी कार्यवाहियों से उन्मुक्ति केवल 30 जून 2014 तक देय कर के भुगतान 31 दिसम्बर 2014 तक ब्याज के साथ शेष देय कर के भुगतान पर ही व्यवस्था करती है।

15 मामलों में, मंत्रालय ने कहा कि धारा 87 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और प्रगति पर थी और 18 मामलों में उत्तर अपेक्षित था।

एक दृष्टांतदर्शक मामला नीचे दिया गया है:-

3.8.1 लखनऊ कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 60.89 लाख के देय कर घोषित किए थे और नियत तिथि के भीतर ₹ 30.45 लाख की पहली किश्त जमा की गई थी (दिसम्बर 2013)। निर्धारिती ने 7 जुलाई 2015 तक ही ₹ 30.44 लाख की शेष राशि जमा की थी जो कि निर्धारित नियत तिथि के बाद थी। तथापि, वीसीईएस योजना के तहत निर्धारिती के घोषणा-पत्र को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और ब्याज के साथ सम्पूर्ण राशि की वसूली करनी चाहिए थी।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2015), मंत्रालय ने टिप्पणी को स्वीकार किया (मई 2016)।

3.8.2 हमने 18 कमिश्नरियों में 441 मामलों में देखा जिन्होंने ₹ 60.68 करोड़ के देय कर को घोषित किया, पूर्ण रूप से या भाग में देय राशियों की दूसरी किश्त का भुगतान नहीं किया, फलस्वरूप स्वयं को योजना के तहत दोषी बनाया। वित्त अधिनियम, 1994 उक्त की धारा 87 के तहत ब्याज और जुर्माने के साथ देय राशि की वसूली के लिए विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2015 और जनवरी 2016 के बीच) मंत्रालय ने 438 मामलों में अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2016) की दोषियों के खिलाफ उपचारात्मक कार्यवाही की गई थी। तीन मामलों में उत्तर अपेक्षित था।

धारा 108 के साथ धारा 110 का पठन यह सुझाव देता है कि धारा 108 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उद्घोषकों को ब्याज और जुर्माने से उन्मुक्ति नहीं दी जा सकती। तथापि धारा 110 ने इसके देय होने की तिथि से आरोप्य ब्याज और जुर्माने की राशि की वसूली के लिए कोई तंत्र निर्धारित

नहीं किया था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 जो कि समय-समय पर संशोधित हुई है बकाया की वसूली के लिए तंत्र को अनुबंध करती है। वीसीईएस के तहत दोषियों के मामलों में, घोषित देय कर किंतु भुगतान नहीं किए गए को केवल बकाया समझा जा सकता है किंतु ब्याज और जुर्माने को नहीं क्योंकि यह अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार अभियाचित और सुनिश्चित नहीं है।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को सेवा कर प्रावधानों के तहत किसी भी देय राशि की वसूली के लिए बहुत शक्तियाँ प्रदान करता है। आगे, क्योंकि दोषी योजना के तहत उन्मुक्ति के लिए अब योग्य नहीं है; अन्य प्रावधानों जैसे कि धारा 73, 73ए, 73सी का भी ब्याज और जुर्माने के साथ चूक की राशियों की वसूली के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो कि है, योजना के प्रावधानों के अनुपालन में निर्धारिती की ओर से असफलता स्वतः ही वित्त अधिनियम 1994 के वर्तमान प्रावधानों का उपयोग करेगा, जो कि स्थायी प्रवृत्ति के है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि देय सेवा कर को पूरा करने के लिए व्यापक शक्तियों क बावजूद पैरा सं. 3.7 और 3.8 में उल्लेखित उपरोक्त सभी मामलों के संबंध में सामान्य दांडिक प्रावधानों के तहत विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जहाँ उद्घोषकों ने ब्याज और जुर्माने से उन्मुक्ति की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए योजना के तहत निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया था।

3.9 वीसीईएस के तहत माने गए 10 मई 2013 से पहले किए गए भुगतानों का प्रशोधन

बोर्ड ने स्पष्ट किया (अगस्त 2013) कि वीसीईएस सुविधाओं का लाभ वहाँ नहीं उठाया जा सकता जहाँ एक व्यक्ति ने योजना के अधिसूचित (जो कि है 10 मई 2013) होने से पूर्व देय कर का आंशिक भुगतान किया है और देय कर के शेष भाग के लिए वीसीईएस के तहत घोषणा की थी। ऐसे मामलों में, योजना लागू होने से पूर्व यदि कोई देय करों का भुगतान किया गया है तो

उस पर ब्याज या जुर्माने की कोई भी देयता पर निर्णय वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा।

मेसर्स सदगुरु कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामलों में गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि “परिपत्र को रद्द नहीं किया जा सकता और इसलिए 1 मार्च 2013 तक बकाया और 1 मार्च 2013 के बाद भुगतान किए गए कर को वीसीईएस अधिनियम 2013 के अंतर्गत घोषित किया जाना चाहिए भले ही यह योजना 10 मई 2013 को लागू हुई हो।

इस निर्णय की घोषणा के बाद बोर्ड ने भी उनके द्वारा जारी परिपत्र की समीक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।

हमने 13 कमिश्नरियों में 46 मामलों में देखा, योजना की अधिसूचना से पूर्व सेवा कर की ओर उद्घोषक ने ₹ 7.05 करोड़ की राशि का भुगतान किया था। अतएव बोर्ड के परिपत्र के अनुसार सभी उद्घोषक वीसीईएस के लिए योग्य नहीं हैं। तथापि, हमने देखा कि विभाग ने 21 मामलों में वीसीईएस-3 प्रमाण पत्र जारी किए थे।

एक उदाहरणरूप मामला नीचे दिया गया है:-

पटना कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने जुलाई 2010 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 10.08 लाख के दाय कर को घोषित (अगस्त 2013) किया था। हमने देखा कि घोषित सम्पूर्ण देय कर राशि का उद्घोषक द्वारा 10 मई 2013 से पूर्व भुगतान किया जा चुका था, जो कि योजना लागू होने से पूर्व था। विभाग ने निर्धारिती को वीसीईएस-3 जारी किया था।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2015) मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि उद्घोषक ने राशि को मार्च 2013 के महीने में जमा कराया था जो कि योजना की घोषणा से पूर्व है, तथापि, चूँकि क्षेत्रीय कार्यालयों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी, वीसीईएस-3 जारी किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा (जून 2016) कि निर्णय 24 अप्रैल 2016 को दिया गया था जबकि वीसीईएस योजना ने 31 दिसम्बर 2013 तक पहली किश्त के भुगतान को उल्लिखित भ्रांति उत्पन्न कर सकता था एवं अधिक विवाद पैदा हो सकते थे।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था चूँकि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए 1 मार्च 2013 से 10 मई 2013

के बीच उद्घोषकों द्वारा किए गए भुगतान को अनुमत किया था, जबकि कुछ आवेदकों को बोर्ड परिपत्र का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार 1 मार्च 2013 से 10 मई 2013 के बीच देय कर राशि प्रशोधन में काई समरूपता नहीं थी।

3.10 देय करों के भुगतान के लिए उपयोग किया गया सेनवैट क्रेडिट

एसटीवीसीईएस नियमावली, 2013 का नियम 6(2) उल्लेख करता है कि योजना के तहत देय करों के भुगतान के लिए सेनवैट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जायेगा।

हमने नौ कमिशनरियों में 28 मामलों में देखा, उद्घोषकों ने देय करों पर पहुँचने से पूर्व ही ₹ 2.52 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का उपयोग कर लिया था। विभाग ने इसमें से किसी भी मामले को खारिज नहीं किया और 19 मामलों में प्रपत्र वीसीईएस-3 जारी किया था।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2015 और जनवरी 2016 के बीच) मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि 10 मामलों में, उन्मुक्ति से इन्कार करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और परिणाम सूचित किया जायेगा। 11 मामलों में, मंत्रालय ने कहा कि उद्घोषकों ने वीसीईएस ने घोषित किए गए सम्पूर्ण देय करों का नकद भुगतान किया किंतु वीसीईएस में घोषित देय करों तक पहुँचने के लिए सेनवैट क्रेडिट के समायोजन के बारे में उत्तर मूक था, जिसने देय करों के आंशिक भुगतान के लिए सेनवैट क्रेडिट के उपयोग का वर्णन किया। सात मामलों में, मंत्रालय का उत्तर अपेक्षित था।

दो उदाहरण मामले नीचे दिए गए हैं:-

3.10.1 जालंधर कमिशनरी में एक निर्धारिती ने (दिसम्बर 2013) अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए केबल ऑपरेटर सेवाओं के लिए ₹ 4.48 लाख देय करों की घोषणा की थी। सेनवैट क्रेडिट से ₹ 60.19 लाख की राशि को समायोजित करने के बाद ₹ 4.48 लाख की घोषित राशि पर पहुँचा गया था। चूँकि वीसीईएस के तहत देय करों के भुगतान की उपयोगिता के लिए सेनवैट क्रेडिट अनुमत नहीं थे विभाग को उन्हें नामंजूर करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 60.19 लाख के सेवा कर की कम घोषणा हुई। विभाग ने 4 अगस्त 2014 को

वीसीईएस 3 जारी करने द्वारा, ब्याज और जुर्माने से उन्मुक्ति द्वारा निर्धारिती को अनावश्यक लाभ पहुँचाया था।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2015) मंत्रालय ने कहा (जून 2016) कि हालांकि वीसीईएस-3 जारी हो चुका था, कमिश्नरी को आगे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था।

3.10.2 इलाहाबाद कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने (सितम्बर 2013) इनपुट सेवाओं पर ₹ 8.03 लाख के लाभ उठाए जा चुके सेनवैट क्रेडिट के समायोजन के बाद जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए विज्ञापन आय की ओर ₹ 3.43 लाख के देय करों की घोषणा की थी, जबकि वास्तविक देयकर कर राशि ₹ 11.47 लाख थी। विभाग ने वीसीईएस-3 जारी किया (जनवरी 2014)। चूँकि सेनवैट क्रेडिट उद्घोषक द्वारा घोषित देय करों के भुगतान की उपयोगिता के लिए स्वीकार्य नहीं था, विभाग को सेनवैट क्रेडिट के समायोजन को नामंजूर करने द्वारा वास्तविक कर देयता को निर्धारित करने की आवश्यकता थी, जो कि नहीं की गई, परिणामस्वरूप ₹ 8.03 लाख के देय सेवा करों की कम घोषणा हुई।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2015) मंत्रालय ने कहा (मई 2016) कि उद्घोषक ने ₹ 3.43 लाख के देय करों का नकद जमा कराया।

मंत्रालय का उत्तर सेनवैट क्रेडिट को कुल देय करों से समायोजित करने द्वारा ₹ 8.03 लाख के दाम पर देय करों की कम-घोषणा पर मौन था।